

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0170/अ-20(3)/2023-24/286



म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)

द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरीली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण बाबत)

//आदेश//

(आज दिनांक 07.11.2024 को पारित)

प्रकरण की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरीली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम मारौराखालसा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 753 रकबा 10.600 रकबा हेक्टेयर मे से 9.12 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 756 रकबा 64.030 हेक्टेयर मे से रकबा 61.58 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 751 रकबा 7.100 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 750/2 रकबा 54.29 हेक्टेयर मे से रकबा 42.75 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 755 रकबा 23.060 हेक्टेयर मे से 18.58 हेक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 139.13 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत तहसीलदार बैराड ने प्रकरण क्रमांक 0024/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 28/06/2024 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम मारौराखालसा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 753 रकबा 10.600 हेक्टेयर मे से 9.12 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 756 रकबा 64.030 हेक्टेयर मे से 61.58 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 751 रकबा 7.100 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 750/2 रकबा 54.29 हेक्टेयर मे से 42.75 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 755 रकबा 23.060 हेक्टेयर मे से 18.58 हेक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 139.13 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन कर एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/03/2024, पत्रिका दिनांक 04/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्तियां बुलाई गई जिसमें नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। खसरा एवं अक्श नक्शा लाल स्याही से चिह्नित होकर प्रति संलग्न है। तहसीलदार बैराड ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0024/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 18/07/2024 से तहसीलदार बैराड के प्रतिवेदन से सहमत होते अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र दिनांक 20.04.2023 प्रेषित अवगत कराया है कि, स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में हेतु ग्राम मारौराखालसा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 753 रकबा 10.600 हेक्टेयर मे से 9.12 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 756 रकबा 64.030 हेक्टेयर मे से 61.58 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 751 रकबा 7.100 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 750/2 रकबा 54.29 हेक्टेयर मे से 42.75 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 755 रकबा 23.060 हेक्टेयर मे से 18.58 हेक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 139.13 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण

हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी, तहसीलदार बैराड के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत मारैराखालसा जनपद पंचायत पोहरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 06/03/2024, नगर तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति, जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर ग्राम मारैराखालसा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 753 रकबा 10.600 हेक्टेयर में से 9.12 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 756 रकबा 64.030 हेक्टेयर में से 61.58 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 751 रकबा 7.100 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 750/2 रकबा 54.29 हेक्टेयर में से 42.75 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 755 रकबा 23.060 हेक्टेयर में से 18.58 हेक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 139.13 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात -3 दिनांक 05/01/2021 में दिये प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 14,91,47,360/- (चौदह कराड इन्क्यानवे लाख सैतालीस हजार तीन सौ साठ रुपये) संबंधित शीर्ष में स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अक्व-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बैराड हस्तांतरित भूमि का खसरे में उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तदुपरांत, अभिलेख में अमल कराये एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।



(रवीन्द्र कुमार चौधरी)

कलेक्टर

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक 07.11.24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार बैराड की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तदुपरांत, अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर आधिपत्य दिलाये एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी (म.प्र.)



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मारौरा खालसा			पटवारी हल्का:मारौराखालसा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे का अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जयद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंताई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर ररचन /वृक्ष 3. अना अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान बनेलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748933 83JH6KDAEPHYH0	750/2/2 (S)		42.7500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0170/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मारौरा खालसा			पटवारी हल्का:मारौराखालसा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे का अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर रखना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कौलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1411606484 83JE6ADAEQH6H0	751 (S)		7.1000 हेक्टेयर महाड 7.1000 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0170/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मारौरा खालसा			पटवारी हल्का:मारौराखालसा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे का अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर सरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कौलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610747741 83JCERDAET2EH0	753/2 (S)		9.1200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0170/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मारौरा खालसा			पटवारी हल्का:मारौराखालसा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे का अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जयद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंताई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर ररचन /वृक्ष 3. अना अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान बनेलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748876 83JC6KDAEZNYH0	755/2 (S)		9.2900 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0170/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है |
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मारौरा खालसा			पटवारी हल्का:मारौराखालसा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे का अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जयद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंताई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर ररचन /वृक्ष 3. अना अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान बनेलम संख्या (1) से (9) तक में प्रतिष्ठियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748887 83JC6KDAEZNYH0	755/3 (S)		9.2900 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0170/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है |
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मारौरा खालसा			पटवारी हल्का:मारौराखालसा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे का अवधि 3. पट्टे का अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर सरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलेम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748843 83J6G6DAEQE4H0	756/2 (S)		61.5800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकाय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0170/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट